संख्या–2528/60–2–06–2/3(19)/03 टी.सी.–।।

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
   उ0 प्र0 लखनऊ।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 21, जुलाई, 2006

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2006–07 में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान योजनान्तर्गत बालिका–श्री योजना के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बालिका समृद्धि योजना विगत वर्षो में विभाग द्वारा संचालित की जाती रही है। वित्तीय वर्ष 2005–06 से भारत सरकार द्वारा इस योजना के व्यय भार को वहन करने में असमर्थता व्यक्त कर दी गयी। अतः राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से स्पेशल कम्पोनेंट योजनान्तर्गत बालिका–श्री योजना को यथावश्यक संशोधित करते हुए संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अभिरक्षक (कस्टोडियन) संबंधित जनपद के जिलाधिकारी होंगे तथा इसके लिए वह किसी अन्य जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी को नामित कर सकते हैं।

1. **लाभार्थियों का चयन**

इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की सितम्बर 01, 2003 के बाद जन्म लेने वाली एक ही परिवार की अधिकतम दो बालिकायें, जिनका नाम ग्राम सभा के आर्थिक परिवार रजिस्टर में सूचीबद्ध हो, को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। लाभार्थियों के चयन का आधार आर्थिक रजिस्टर होगा। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का नाम यदि ग्राम सभा के आर्थिक रजिस्टर में नहीं है, तो आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं मुख्यसेविका द्वारा आर्थिक रजिस्टर में नाम नियमानुसार शामिल कराया जायेगा। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने का आधार बी0पी0एल0 सम्बन्धी राशन कार्ड को भी माना जायेगा। इसके अतिरिक्त एक गांव में 03 से अधिक लाभार्थियों का चयन नहीं किया जायेगा तथा चयनित बालिकाएं उपलब्ध पात्र बालिकाओं में से सबसे गरीब परिवार की ही चयनित की जायेंगी।

लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जायेगा। लाभार्थी के चयन हेतु बैठक के आयोजन एवं कार्यवृत्त तैयार कराने का कार्य संबंधित मुख्यसेविका द्वारा किया जायेगा।

लाभार्थियों की ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची को संकलित कर मुख्यसेविका विलम्बतम 31 अगस्त, 2006 तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा देगी। परियोजनावार लाभार्थियों की सूची 10 सितम्बर, 2006 तक जिला कार्यकम अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा जिला कार्यकम अधिकारी द्वारा संकलित सूची पर जिलाधिकारी से अनुमोदन

प्राप्त कर 20 सितम्बर, 2006 तक निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को करायेंगे।

2. **योजना के लक्ष्यों का निर्धारण**

लक्ष्यों का निर्धारण जनपदवार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। ब्लाक योजना के लक्ष्यों का निर्धारण परियोजनावार किया जाय। परियोजनावार लक्ष्यों का अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर जिलाधिकारी का अ प्राप्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3. **राष्ट्रीय बचत-पत्र की उपलब्धता**

चयनित बालिकाओं को रू. 800/- के राष्ट्रीय बचत-पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय बचत-पत्र की आवश्यकता अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करते इसे लाभार्थियों को उपलब्ध करायेंगे। यदि बचत-पत्र की उपलब्धता के संबंध में समस्या उ होती है, तो उसे जिलाधिकारी के माध्यम से सुलझाया जायेगा। जिला स्तर पर समस्या समाधान न होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निदेशालय को समस्याओं से अवगत क जायेगा, जिससे डाक विभाग एवं राष्ट्रीय बचत निदेशालय से समन्वय स्थापित कर समस्या समाधान किया जा सके। लाभार्थियों को दिये गये राष्ट्रीय बचत-पत्र जिलाधिकारी/जि कार्यक्रम अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जायेंगे तथा लाभार्थियों को इसकी छायाप्रति उपल करायी जायेगी। निर्धारित समयावधिपूर्ण होने पर बचत-पत्र का नवीनीकरण जिला कार्यक्र अधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

4. **बीमा विषयक**

बालिका-श्री योजना के अन्तर्गत बालिका का बीमा कराये जाने हेतु बीमा एजेंसी व चयन के संबंध में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के स्तर पर विभिन्न बीमा एजेंसियों के प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी के प्रस्ताव की संस्तुति पर शासन द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। इसके अनुसार नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी द्वारा रू. 200/- के प्रीमियम पर 18 वर्ष तक बीमा किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें बीमित बालिका के माता एवं पिता दोनों को रू. दो लाख का दुर्घटनात्मक बीमा रहेगा, परन्तु एक ही घटना में दोनों की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी की अधिकतम देयता रू. दो लाख होगी। यदि माता या पिता किसी एक की दुर्घटना में मृत्य हो जाती है, तो उत्तरजीवी अभिभावक का बीमा दावा राशि में से प्रीमियम की धनराशि की कटौती करने के पश्चात् पुनः किया जा सकेगा। चयनित बालिकाओं के बीमा के संबंध में पॉलिसी अपवर्जन दुर्घटना की परिभाषा/विवरण एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत निर्देश निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा इस विभाग की सहमति पश्चात पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

प्रश्नगत योजना 18 वर्ष की अवधि के लिए संचालित की गयी है। अतः लाभार्थी बालिकाओं की सूची अन्य विवरण सहित विभागीय वेबसाइट पर रखी जायेगी। आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसार बालिका श्री योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
सचिव